कार्यालय शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।

पत्रांक संख्याः डिग्री विकास/ /2022-23 दिनांक- / 04 /2022

विज्ञप्ति

राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार योजना 2022 हेतु आवेदन पत्रों का आमंत्रण

राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार योजना 2022 हेतु आवेदन पत्र उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज की बेवसाइट **https://uphed.gov.in/HigherEduDirectorate/DefaultDir.** पर उपलब्ध है । शासनादेश संख्या- 3126/सत्तर-3-2021 दिनांक- 29 दिसम्बर, 2021 (छायाप्रति संलग्न) के अनुसार कला, विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान, वाणिज्य प्रबन्धन और साहित्य के क्षेत्र में कुल 09 शिक्षकों को 'सरस्वती' पुरस्कार प्रदान किया जायेगा जिसमें क्रमशः राज्य विश्वविद्यालयों के 03 शिक्षकों को (प्रति श्रेणी-01 शिक्षक), राजकीय महाविद्यालयों के 03 शिक्षकों को (प्रति श्रेणी-01 शिक्षक), अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के 03 शिक्षकों को (प्रति श्रेणी-01 शिक्षक) दिया जाना है । शिक्षा के उन्नयन और नवीन शिक्षण कार्य में उच्च स्तरीय योगदान देने वाले शिक्षकों को कुल 15 'शिक्षक श्री' पुरस्कार प्रदान किया जायेगा जिसमें क्रमशः राज्य विश्वविद्यालय के 06 शिक्षकों को (प्रति श्रेणी 02 शिक्षक), शिक्षा के उन्नयन और अध्यापन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले राजकीय महाविद्यालयों के 03 शिक्षक को (प्रति श्रेणी-1 शिक्षक), अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय के 03 शिक्षक (प्रति श्रेणी-1 शिक्षक) एवं अध्यापन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले स्ववित्तपोषित महाविद्यालय के 03 शिक्षकों (प्रति श्रेणी-1 शिक्षक) को 'शिक्षक श्री' पुरस्कार प्रदान किया जाना है । विस्तृत विवरण संलग्न है ।

इस हेतु पूर्ण रुप से भरे हुए आवेदन पत्र क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी के माध्यम से तथा सीधे निदेशक,(उ0शि0) उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को प्रेषित किये जायेंगे । समस्त संलग्नको सहित पूरित आवेदन पत्र निदेशालय में प्राप्त होने की अन्तिम तिथि दिनांक- 15.06.2022 को सायं 05:00 बजे तक है ।

डॉ0(अमित भारद्वाज)
शिक्षा निदेशक(उ0शि0)
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।

आवेदन पत्र आमंत्रित करने की समय –सारणी

(अ)	आवेदन पत्र विज्ञापन की तिथि	30 अप्रैल, 2022
(ब)	उच्च शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज में आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि	15 जून, 2022 सायं- 05:00 बजे तक
(स)	उच्च शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज में निदेशालय परीक्षण समिति द्वारा आवेदन पत्रों के परीक्षण की तिथि	20 जून, 2022
(द)	आवेदन पत्रों को निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा राज्य स्तरीय समिति को प्रेषित करने की अन्तिम तिथि	30 जून, 2022
(य)	राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार-विमर्श के उपरान्त लिए गए निर्णय का अन्तिम तिथि	25 जुलाई, 2022
(र)	पुरस्कार की घोषणा की तिथि	15 अगस्त, 2022
(ल)	पुरस्कार वितरण की तिथि	05 सितम्बर, 0222

संक्षिप्त विवरण

शिक्षक श्री सम्मान / सरस्वती सम्मान–2022

1. सम्मान का नाम	
2. प्रार्थी का नाम व पदनाम (जिस प्रकार प्रशस्ति पत्र में प्रकाशित किया जाना है)	
(क) नाम	
(ख) पदनाम	
(ग) विषय	
(घ) संस्था का नाम	
3. पताः	
4. जन्म तिथि	
5. शिक्षा	
6. शिक्षण अनुभव (वर्षो में)	
7. विशेषज्ञता	
8. प्रशासनिक अनुभव (वर्षो में)	
9. प्रकाशित शोध पत्रों की कुल संख्या	
10 प्रकाशित पुस्तकों की संख्या	
11. पेटेण्ट (यदि कोई हो)	
12. सेमीनार / संगोष्ठी / कार्यशाला	
13. शोध निर्देशन	
(क) पंजीकृत छात्रों की संख्या	
(ख) उपाधि प्राप्त छात्रों की संख्या	
14. शोध परियोजनायें	
15. पूर्व में प्राप्त मुख्य पुरस्कार / सम्मान का विवरण	
16. उपलब्धियों एवं योगदान (अधिकतम 500 शब्द)	
17. दूरभाष नं0	
मोबाईल नं0	
18. ई–मेल आई0 डी0	
19. शिक्षक के विरुद्ध हुई कानूनी / दंडात्मक / एफ.आई.आर कार्यवही (यदि कभी भी हुई हो)	

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांकः ....

उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन

राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना

आवेदन पत्र का प्रारुप

खण्ड--(अ) सामान्य सूचना

			Please tick ☑ सरस्वती पुरस्कार ☐ शिक्षक श्री ☐
1.	शिक्षक का नाम	:	
2.	जन्म तिथि	:	
		:	पुरुष / महिला
3.	स्थायी पता पिनकोड	:	
	दूरभाष	:	
	ई--मेल	:	
4.	संस्था का विवरण	:	

संस्था का नाम (विश्वविद्यालय / महाविद्यालय)	:	
महाविद्यालय की श्रेणी	:	राजकीय ☐ अनुदानित अशासकीय ☐ स्ववित्तपोषित ☐
धारित पद	:	पद-- विषय--
अविरल नियुक्ति की तिथि	:	
नियुक्ति की वर्तमान प्रकृति	:	स्थायी ☐ अस्थायी ☐
पत्राचार हेतु पूरा पता	:	
दूरभाष नं0	:	
वेबसाइट	:	
ईमेल आई0डी0	:	
नॉक मूल्यॉकन की स्थिति	:	वैधता तिथि ☐ ग्रेड / सीजीपीए ☐

5.	अध्यापन अनुभव वर्षो में		
	स्नातक	:	
	स्नातकोत्तर	:	

6. सेवा काल में शिक्षण कार्य का विवरण के आधार पर अंक गणना (अधिकतम 10 अंक प्रतिवर्ष)

- अंतिम वर्ष (Average of Final Year UG or UG/PG class) के परीक्षा परिणाम के आधार पर
- उदाहरण–यदि किसी वर्ष में बी०ए०–3 का पास प्रतिशत 98 तथा एम०ए०–2/4 का पास प्रतिशत 90 है तो उस वर्ष का औसत पास प्रतिशत 94 (98+90/2class=94) । यदि कोई शिक्षक केवल स्नातक स्तर की कक्षायें लेता है तो उसकी अंक गणना स्नातक के आधार पर होगी ।
- 90 या 90 प्रतिशत से कम परीक्षा परिणाम होने पर कोई अंक देय नहीं होगा । 91 से 100 प्रतिशत के मध्य प्रत्येक एक अंक पर 1 अंक देय होगा, अर्थात 91 प्रतिशत पर 1 अंक, 95 प्रतिशत पर 5 अंक तथा 100 प्रतिशत पर 10 अंक देय होंगे ।
- प्रत्येक वर्ष के परीक्षा परिणाम की प्रमाणित प्रति (महाविद्यालय के लिये तत्कालीन प्राचार्य द्वारा अथवा विश्वविद्यालय के लिये कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक) का संलग्नक लगाना होना अनिवार्य है । परीक्षा परिणाम की प्रमाणित प्रति संलग्न न होने पर उस वर्ष के अंक देय नहीं होंगे ।

कक्षा	वर्ष	प्रतिशत उत्तीर्ण छात्र	वार्षिक औसत परीक्षा परिणाम	संलग्नक संख्या	पृष्ठ संख्या

7. शैक्षणिक योग्यता

परीक्षा उत्तीर्ण	बोर्ड/विश्वविद्यालय	वर्ष	श्रेणी
हाई स्कूल या समकक्ष			
इण्टरमीडिएट या समकक्ष			
इण्टरमीडिएट अतरिक्त विषय			
स्नातक			
स्नातकोत्तर			
एम० फिल०			
जे०आर०एफ०–नेट			
शोध उपाधि–पी.एच. डी.			
अन्य			
पूर्व में प्राप्त पुरस्कार एवं पदकों का विवरण			
कम्प्यूटर कार्य में प्रवीणता			

खण्ड–(ब)

Sr. No/ Category	Details/Particulars (It's the responsibility of applicant to attached required proof with every category. Score claimed in any category without proof is deemed to be rejected)		Allotted Marks/Points	Self Calculated Score	Score given by [illegible] Committee	Score finalized by State level Committee	Page No.
1	Research Papers published only	UGC/CARE listed	15/ publication				
		Non-UGC listed Peer-Reviewed (as per Thomson Reuters list/ NISCAR list)	10/ publication				
2	Publications (other than Research papers with ISBN/ISSN)						
2a	Books (Not conference proceeding, college magazine) authored which are published by… *Publication in Proceedings, Compilation of research papers as a book can't be included to claim points (attached a link of proof from University/ Govt. Body for category claimed, without which publication can't be considered)*	International publishers (Abroad)	12 /Book				
		National Publishers	10 /Book				
		Chapter in Edited Book	05 /Book				
		Editor of Book by International (Abroad) Publisher	10 /Book				
		Editor of Book/Journal by National Publisher	08 /Book/Journal				
2b	Translation works in Indian and Foreign Languages by qualified faculties	Chapter or Research paper	03 /chapter/ paper				
		Book	08 /Book				
3	Creation of ICT mediated Teaching Learning pedagogy and content and development of new and innovative courses and curricula						
3a	Development of Innovative pedagogy		05				
3b	Design of new curricula and courses		2 /curricula/ course				
3c	MOOCs (with eCretifiaction)	Development of complete MOOCs in 4 quadrants (4credit course) (In case of MOOCs of lesser credits 05 marks/credit)	20 per				
		MOOCs (developed in 4 quadrant) per module/lecture	05 per				
		Content writer/subject matter expert for each module of MOOCs (at least one quadrant)	02 per				
		Course Coordinator for MOOCs (4 credit course) (In case of MOOCs of lesser credits 02 marks/ credit)	08 per				
3d	E-Content (Online viewership proof should be attached with link, else than no marks, eContent with Minimum 100 viewership can be used to claim points, No points for less than 100 points)	Development of e-Content in 4 quadrants for a complete course/e book	12 per				
		e-Content (developed in 4 quadrants) per module	05 per				
		Contribution to development of e-content module in complete course/ paper/e-book (at least one quadrant)	02 per				
		Editor of e-content for complete course/ paper /e-book	10 per				
		e-content / Video lecture on Net (more than 100 Viewer)	05 per				
		Self eContent uploaded on U.P. Digital Library (Scanned copy of Book, Journal, Notes can't be used to claim points)	05 per				
		Live streaming online classes uploaded on web portal (Recording uploaded later on not allowed)	05 per				
4a	Research guidance (student must be enrolled in the college/university where applicant working)	Ph.D. (Awarded)	10/student				
		Ph.D. (Submitted)	5/student				
		M.Phil./ P.G dissertation (Awarded)	2/student				
4b	Research Projects Completed	More than 10 lakhs (Before 1-1-2015, More than 5 lakhs	10 per				

		Less than 10 lakhs (Before 1-1-2015, Less than 5 lakhs	05 per				
		As mentor of PDF, RA, Scientist of Govt. Body	05 per				
4c	Research Projects Ongoing (in the allotment year, not every year)	More than 10 lakhs	05 per				
		Less than 10 lakhs	02 per				
4d	Consultancy		03 per/Lakh				
5a	Patents	International	10 per				
		National	07 per				
5b	Awards/Fellowship (By Govt./ Govt. Body only, Awards given in seminar/ conferences not included)	International	07 per				
		National/State	05 per				
A	**A-Total of category 1, 2, 3, 4, 5,**						
6a	*Policy Document (Submitted to an International body/organisation like UNO/ UNESCO/ World Bank/ International Monetary Fund or Central Government or State Government)	International	10 per				
		National	07 per				
		State	04 per				
6b	*Invited lectures / Resource Person/chairperson/Keynote speaker/ paper presentation in Seminars/ Conferences/ Webinar/ Virtual platform	International (Abroad)	07 per				
		International (within country)	05 per				
		National	03 per				
		State/University	02 per				
B	**B-Total of category 7 (upto 20% of Total-A)**	*For example, If the total research score of Category 1,2,3,4,5,5 is 400 then teacher can't claim more than 80(400x20/100=80) score from category 7*					
7	Result (From point 6 of Part A)	91-100 %: 1 Marks/1 percent. No marks below 90% (Result of every year required attested by Principal (For college), Exam Controller/Registrar (For University) No marks without proof	Maximum 10/Year				
8	Service tenure	Only Permanent Service in U.P. counted for Score. (Other state service, Adhoc, Contract, Guest service cannot counted for score)	02/Completed Year				
9	**Academic Record**	**Graduation**	80% & Above = 21				
			60% to less than 80% = 19				
			55% to less than 60% = 16				
			45% to less than 55% =10				
		Post-Graduation	80% & Above = 25				
			60% to less than 80% = 23				
			55% to less than 60% = 20				
		M.Phil.	60% & above = 07				
			55% to less than 60% = 05				
		Ph.D.	25				
		NET with JRF	10				
		NET	08				
		SLET/SET	05				
10	Administrative responsibility	a) ProVC/ Dean/ Exam controller b) IQAC Director/ coordinator (On timely Submission of AQAR only), c) NAAC Grade as Principal/ coordinator (on award of grade) d) AISHE/NIRF coordinator (on report submission), e) NCC commissioned officer, f) NSS officer, g) RUSA coordinator, h) IGNOU/UPRTOU/NEPTEL/IIC Coordinator/Co-coordinator/ Chairman i) Convenor/Organising Secretary of Seminar/Conference/ Webinar/FDP/Workshop funded by Govt/ Govt body only	a) 5 marks/year b) 5 marks/AQAR, c) CGPA >3 -50 marks/cycle CGPA >2.7-40 marks/cycle CGPA >2.0- 30marks/cycle CGPA <2.0- 20marks/cycle d) 2 marks/AISHE/NIRF-R e) 2 marks/year for NCC, NSS, RUSA, IGNOU/ UPRTOU f) 2 marks/year for NSS g) 2 marks/year for RUSA h) 2 marks/year for IGNOU/ UPRTOU/ NEPTEL/IIC i) 2 marks (1-3days)/ Seminar/ Conference/				

		j) Nodal officer/ Coordinator of State/ Members/ Central/State Govt. schemes/committee. k) Nodal officer Community College/BVoc/Skill development course l) Functional MoU m) Web administrator of HEIs website (Functional website only) n) In-charge principal	Workshop/Webinar j) 5 marks (5 or more days): Seminar/ Conference/ Workshop/FDP k) 10 marks/running course/Year l) 2 Marks/functional MoU m) 1 Marks/Year n) 2 Marks/Year				
11	Arrangements of Grants/Funds for HEIs as Director, Principal, Coordinator, Nodal (for utilized part of grant/funds, Unutilized grant/fund can't be used to claim points)	Funds received form U.P. Higher education department RUSA, Scholarship, fees, reg.stration, afflation, Project cant not included	5/points /lakh of utilized amount				-
	Grand Total (A+B+7+8+9+10+11)						

Capping in Category Score *(Annual capping used for category 1 to 7). For example in service of an applicant is 10 years and have total API point 700, it mean he will get only maximum 70 marks/year, If he/she have 200 marks in one year, it should be reduced to 70)*

Category	Details	Cap as % of cumulative score	Uncapped claimed score	Capped claimed Score	Score verify by Directorate Committee	Score finalized by State level Committee	Page No.
1	Research Papers	30 %					
2	Publications (other than Research papers)	15 %					
3	Creation of ICT mediated Teaching Learning	15 %					
4	Research guidance, project	10 %					
5	Patents, Policy Document, Awards/Fellowship	10 %					
6	Seminars/ Conferences	20 %					
A	Total						
	(Minimum 400 Point score required in 1-6.Evaluation Committee reject application whose below point score found less than 400)						
7	Result score						
8	Service tenure score						
9	Academic Score						
10	Administrative responsibility						
11	Grants/Funds for HEIs						
	Grand Total for Award (A+7+8+9+10+11)						

The Research score for research papers would be augmented as follows:

- Peer-Reviewed or UGC-listed Journals (Impact factor to be determined as per Thomson Reuters list)
- If author claimed for Peer-Reviewed/Impact factor a certificate/link of Thomson Reuters/ NISCAR need to be attached, Without proof no marks of Peer-Reviewed/Impact factor added and paper awarded minimum marks of the concerned category
  - i) Paper in refereed journals without impact factor - 5 Points
  - ii) Paper with impact factor less than 1 - 10 Points
  - iii) Paper with impact factor between 1 and 2 - 15 Points, Paper with impact factor between 2 and 5 - 20 Points
  - iv) Paper with impact factor between 5 and 10 - 25 Points, Paper with impact factor >10 - 30 Points
  - a) Two authors: 70% of total value of publication for each author.
  - b) More than two authors: 70% of total value of publication for the First/Principal/Corresponding/Mentor author and 30% of total value of publication for each of the joint authors.
  - c) Joint Projects: Principal Investigator and Co-investigator would get 50% each.

Example : *If a paper of 15 points have 3 authors, 10.5 (70%15) given to First/Principal/Corresponding/Mentor author and other two other shared reaming 30% equally i.e. 2.25 points to each author*

Note:

- For joint supervision of Research project, research students, the formula shall be 70% of the total score (vide supra) for Supervisor and Co-supervisor, PI, Co-PI, In-charge PI.

- *The combined research score from the categories of 6(a). Policy Document and 6(b) Invited lectures/Resourse Person/Paper presentation shall have an ***upper capping of 20 percent*** of the total research score of the teacher concerned. *For example, If the total research score of Category 1,2,3,4,5(a),5(c) is 400 then 'eacher can't claim 80 (400x20/100=80)score from category 6(A) and 6 (b)*
- The research score shall be from the minimum of three categories out of six categories.

खण्ड—(स)

प्रमाणित किया जाता है कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी में उर्पयुक्त सभी सूचनायें सत्य हैं । मेरे विरुद्ध कभी भी किसी भी प्रकार की कानूनी/दंडात्मक कार्यवाही नहीं हुई है तथा नहीं ही कभी भी पुलिस में कोई एफ.आई.आर हुई है । मेरी सूचनाओं के असत्य पाये जाने पर शिक्षक पुरस्कार हेतु मेरा अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जायेगा जिसमें मुझे कोई आपत्ति न होगी ।

दिनांकः

स्थानः

शिक्षक के हस्ताक्षर

शिक्षक का पूरा नाम—

संकायाध्यक्ष/प्राचार्या /निदेशक (उ0शि0) द्वारा संक्षिप्त आख्या एवु संस्तुतिः—

शिक्षण दायत्वि का निर्वहन

1. अख्यागत वर्ष में शिक्षण में अभिनव प्रयोग

2. व्यवसायिक दक्षता/विषय का ज्ञान एंव अभिव्यक्ति की क्षमता

3. शोध क्षेत्र में योगदान

4. प्रसार कार्य/सामुदायिक सेवा

5. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के भौतिक/गुणात्मक विकास में योगदान

6. छात्रों/समाज में शिक्षक की छवि

7. शिक्षक के विरुद्ध हुई कानूनी/दंडात्मक/एफ.आई.आर का विवरण ।

कुलपति / प्राचार्या/ निदेशक (उ0शि0)

Section-B Score details

1- Research Papers details

- Peer-Reviewed or UGC-listed Journals (Impact factor to be determined as per Thomson Reuters list)
- Publication without ISSN/ISBN not accepted
- If author claimed for Peer-Reviewed/Impact factor a certificate/link of Thomson Reuters/ NISCAR need to be attached, Without which no marks of Peer-Reviewed/Impact factor added
- Paper in refereed journals without impact factor - 5 Points, Paper with impact factor less than 1 - 10 Points
- Paper with impact factor between 1 and 2 - 15 Points, Paper with impact factor between 2 and 5 - 20 Points
- Paper with impact factor between 5 and 10 - 25 Points, Paper with impact factor >10 - 30 Points

- Two authors: 70% of total value of publication for each author.
- More than two authors: 70% of total value of publication for the First/Principal/Corresponding author and 30% of total value of publication for each of the joint authors.

Sl No.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Self-Calculated Score	Score given by Directorate Committee	Score finalized by State level Committee	[illegible]	[illegible]
1												
2												
	Total Score											

2- Publications (other than Research papers)

Sl No.	Title of book/Chapter	Year/Page's	Publisher	International/National	Author/Editor	ISBN No	Self-Calculated Score	Score given by Directorate Committee	Score finalized by State level Committee	Annexure Number	Page No.
1											
2											
	Total Score										

3- Creation of ICT mediated Teaching Learning pedagogy and content and development of new and innovative courses and curricula

S.N.	Title of the process/ Material/ MOOC/ eContent	Date/ Year	Web link of process/ Material/ MOOC/ eContent	Self-Calculated Score	Score given by Directorate Committee	Score finalized by State level Committee	Annexure Number	Page No.
1								
2								
	Total Score							

4(a) Research guidance

S.N.	*Name of student*	*Concerned University*	*M.Phil/ Ph.D/ Dissertation*	*Title*	*Submitted/ Awarded*	Self-Calculated Score	Score given by Directorate Committee	Score finalized by State level Committee	Annexure Number	Page No.

	Total Score										

4 (b/c) Research Projects

a) Joint Projects: Principal Investigator and Co-investigator would get 50% each.

S.N.	Title	Agency & Ref No	Complete & Ongoing	Period	Grant (Rs)	Self-Calculated Score	Score given by Directorate Committee	Score finalised by State level Committee	Annexure Number	Page No
1										
2										
	Total Score									

5 (a) Patents

S.N.	Title of Patent	Ref No and date	International / national	Self-Calculated Score	Score given by Directorate Committee	Score finalised by State level Committee	Annexure Number	Page No
1								
2								
	Total Score Claimed							

5 (b) Awards/Fellowship

S. N.	Name of Fellowship/ Award	Agency	Year	International/ National/ State	Self-Calculated Score	Score given by Directorate Committee	Score finalised by State level Committee	Annexure Number	Page No
1									
2									
	Total Score Claimed								

6 (a) *Policy Document (Submitted to an International body/organisation like UNO/UNESCO/World Bank/ International Monetary Fund etc. or Central Government or State Government)

S.N.	Title of Policy Document	Ref No and date	Submitted Agency	International / National/ State	Self Calculated Score	Score given by Directorate Committee	Score finalised by State level Committee	Annexure Number	Page No
	Total Score Claimed								

6 (b). Invited lectures / Resource Person/ paper presentation in Seminars/ Conferences/full paper in Conference Proceedings (Paper presented in Seminars/Conferences and also published as full paper in Conference Proceedings will be counted only once)

S. N.	Title of the Paper presented/Published	Detail of Conference/ Seminar etc	Date(s) of the event	Venue of the event	International (Abroad)/ International/ National/State or University	Self-Calculated Score	Score given by Directorate Committee	Score finalised by State level Committee	Annexure Number	Page No
1										
2										

	Total Score Claimed								

10- Administrative responsibility

S.N.	Name of Administrative responsibility	Year's	Self-Calculated Score	Score given by Directorate Committee	Score finalized by State level Committee	Annexure Number	Page No
1	ProVC/ Dean/ Exam controller						
2	IQAC /NAAC/Director/ coordinator (On AQAR Submission only)						
3	NAAC Grade as Principal/ coordinator (on award of grade)						
4	AISHE/NIRF coordinator (on report submission)						
5	NCC commissioned officer						
6	NSS officer						
7	RUSA coordinator						
8	IGNOU/UPRTOU/NEPTEL/IIC Coordinator/Co-coordinator/ Chairmen						
9	Convenor/Organising Secretary of Seminar/Conference/ Webinar/FDP/Workshop funded by Govt/ Govt body only						
10	Nodal officer/ Coordinator of State/ Members/ Central/State Govt. schemes/committee.						
11	Nodal officer Community College/BVoc/Skill development course						
12	Functional MoU						
13	Web administrator of HEIs website (Functional website only)						
14	In-charge Principal						
	Total Score claimed						

11 - Arrangements of Grants/Funds for HEIs as

a) Joint Projects: Principal Investigator and Co-investigator would get 50% each.

S.N.	*Work for which grants received*	*Agency*	*Ref No & date*	*Total grants*	*Utilized grant*	Self-Calculated Score	Score given by Directorate Committee	Score finalized by State level Committee	Annexure Number	Page No
1										
2										
	Total Score									

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग–3
संख्या–3126 / सत्तर–3–2021
लखनऊ : दिनांक : 29 दिसम्बर, 2021

कार्यालय–ज्ञाप

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 के आदेश संख्या–3125 / सत्तर–3–2021–07(20) / 2015, दिनांक 29.12.2021 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार नियमावली–2021 की प्रति संलग्न कर निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

(1) अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0।
(2) अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
(3) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
(4) कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
(5) निजी सचिव, उप मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
(6) निजी सचिव, राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
(7) निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
(8) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
(9) निजी सचिव, सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
(10) निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज।
(11) कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0
(12) समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
(13) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0।
(14) समस्त अधिकारी / अनुभाग, उच्च शिक्षा विभाग।
(15) अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।
(16) गार्ड फाइल।

(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग–3
संख्या–3125/सत्तर–3–2021–07(20)/2015
लखनऊ : दिनांक : 29 दिसम्बर, 2021

उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार नियमावली–2015 को अवक्रमित करते हुए श्री राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार नियमावली–2021

1– **संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ:–**

(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार नियमावली–2021 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2– **परिभाषायें:–** इन नियमों में जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो:–

(अ) पुरस्कार का तात्पर्य नियम–3 में निहित पुरस्कार से है।

(ब) समिति का तात्पर्य नियम–7 में निहित चयन समिति से है।

(स) 'शिक्षक' से तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों के शिक्षकों, राजकीय महाविद्यालयों, अनुदानित अशासकीय महाविद्यालयों एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं प्राचार्यों से है।

3– **पुरस्कार के प्रकार:–** पुरस्कार का नाम, संख्या और राशि/विवरण निम्नलिखित तालिका के अनुसार होंगे:–

क्र0 सं0	पुरस्कार का नाम	पुरस्कार की संख्या	पुरस्कार का विवरण
1	'सरस्वती' पुरस्कार	कला, विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान, वाणिज्य, प्रबन्धन और साहित्य के क्षेत्र में उच्च स्तरीय शोध कार्य एवं निर्देशन द्वारा ज्ञान के लिये महत्वपूर्ण योगदान देने वाले कुल 09 शिक्षकों को सरस्वती पुरस्कार हेतु चयनित किया जायेगा, जिसका विवरण निम्नवत है:– (क) राज्य विश्वविद्यालयों के 03 शिक्षक को प्रति श्रेणी–1 शिक्षक। (ख) राजकीय महाविद्यालयों के 03 शिक्षक को प्रति श्रेणी–1 शिक्षक। (ग) सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के 03 शिक्षक को प्रति श्रेणी–1 शिक्षक।	1–प्रशस्ति पत्र 2–रू0 3,00,000/– 3–प्रतीक चिन्ह
2	'शिक्षक श्री' पुरस्कार	शिक्षा के उन्नयन और नवीन शिक्षण कार्य में उच्च स्तरीय योगदान देने वाले राज्य विश्वविद्यालयों के 06 शिक्षकों को "शिक्षक श्री" पुरस्कार हेतु चयनित किया जायेगा। प्रति श्रेणी–2 शिक्षक।	1–प्रशस्ति पत्र 2–रू0 1,50,000/– 3–प्रतीक चिन्ह
3	'शिक्षक श्री' पुरस्कार	शिक्षा के उन्नयन और अध्यापन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले राजकीय महाविद्यालयों में से 03 शिक्षक को "शिक्षक श्री" पुरस्कार हेतु चयनित किया जायेगा। प्रति श्रेणी–1 शिक्षक।	1–प्रशस्ति पत्र 2–रू0 1,50,000/– 3–प्रतीक चिन्ह
4	'शिक्षक श्री' पुरस्कार	शिक्षा के उन्नयन और अध्यापन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सहायता प्राप्त अशासकीय	1–प्रशस्ति पत्र 2–रू0 1,50,000/–

		महाविद्यालयों में से 03 शिक्षक को "शिक्षक श्री" पुरस्कार हेतु चयनित किया जायेगा। प्रति श्रेणी--1 शिक्षक।	3--प्रतीक चिन्ह
5	'शिक्षक श्री' पुरस्कार	अध्यापन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के 03 शिक्षक को 'शिक्षक श्री' पुरस्कार हेतु चयनित किया जायेगा। प्रति श्रेणी--1 शिक्षक।	1--प्रशस्ति पत्र 2--रू0 1,50,000/-- 3--प्रतीक चिन्ह
विषयवार वर्गीकरण -- श्रेणी--1 विज्ञान वर्ग के शिक्षक। श्रेणी--2 कला, मानविकी शिक्षा, साहित्य के शिक्षक। श्रेणी--3 वाणिज्य प्रबन्धन, शारीरिक शिक्षा के शिक्षक।			

4— <u>पुरस्कार प्रदान किये जाने हेतु समय–सारणी</u> :—

(1) चयन समिति का सदस्यसचिव प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित समय सारिणी के अनुसार आवेदन–पत्र आमन्त्रित करेगा :—

(अ)	आवेदन पत्र विज्ञापन की तिथि	30 अप्रैल
(ब)	उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद में आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि	15 जून
(स)	उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद में निदेशालय परीक्षण समिति द्वारा आवेदन पत्रों के परीक्षण की तिथि	20जून
(द)	आवेदन पत्रों को निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा राज्य स्तरीय समिति को प्रेषित करने की अन्तिम तिथि	30 जून
(य)	राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार–विमर्श के उपरान्त लिये गये निर्णय की अन्तिम तिथि–	25 जुलाई
(र)	पुरस्कार घोषणा की तिथि	15 अगस्त
(ल)	पुरस्कार वितरण की तिथि	05 सितम्बर

(2) पुरस्कार के लिये आवेदन पत्र चयन समिति के सदस्यसचिव के समक्ष निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत किये जायेंगे।

(3) आवेदक का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह संस्थाध्यक्ष/विश्वविद्यालय के कुलसचिव का इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न करें कि वह विश्वविद्यालय/संस्था का नियमित शिक्षक है।

5— <u>चयन का आधार</u> :— सरस्वती एवं शिक्षक श्री पुरस्कार हेतु चयन का आधार निम्नवत होगा:—

(1)यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत आने वाले राज्यविश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों/प्राचार्यों को ही प्रदान किया जायेगा।

(2) यह पुरस्कार केवल शिक्षण कार्य कर रहे शिक्षकों को ही प्रदान किया जायेगा।

(3) यह पुरस्कार सेवा निवृत्त शिक्षक को नहीं प्रदान किया जायेगा।

(4) आवेदक एक सत्र में केवल एक ही पुरस्कार(सरस्वती/शिक्षक श्री) के लिये आवेदन कर सकेगा। एक से अधिक पुरस्कार के लिये आवेदन करने पर आवेदन पत्र केवल एक पुरस्कार हेतु ही मान्य होगा।

(4) (1) "सरस्वती पुरस्कार प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी पुनः "सरस्वती" पुरस्कार हेतु अथवा "शिक्षक श्री" पुरस्कार प्राप्त करने हेतु आवेदन करने के लिए अर्ह नहीं होंगे। "शिक्षक श्री" पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थी 03 वर्ष बाद "सरस्वती" पुरस्कार प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकेंगे, परन्तु उक्त अभ्यर्थी पुनः "शिक्षक श्री" पुरस्कार हेतु आवेदन करने के लिए अर्ह नहीं होंगे।"

(4) (2) पुरस्कार हेतु पात्र शिक्षक, कुलपति/प्राचार्य के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करेंगे। ऑनलाइन आवेदन की समस्त कार्यवाही निदेशक, उच्च शिक्षा के माध्यम से व्यवहृत की जायेगी।

(5) पुरस्कार के लिये आवेदन पत्र कुलपति/कुलसचिव की संस्तुति के उपरान्त ही निदेशालय को प्रेषित किये जायेंगे। कुलपति/कुलसचिव की संस्तुति के बिना प्राप्त आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

(6) शिक्षक पुरस्कार हेतु शिक्षक का चयन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा निर्धारित ए0पी0आई0 स्कोर के आधार पर किया जायेगा।

(6) (1) शिक्षक श्री पुरस्कार हेतु न्यूनतम 750 ए0पी0आई0 अंक प्राप्त करने वाले शिक्षक पात्र होंगे तथा सरस्वती पुरस्कार हेतु न्यूनतम 1000 ए0पी0आई0 प्राप्त करने वाले शिक्षक ही पात्र होंगे।

(6) (2) सन्दर्भगत वर्ष की ए0पी0आई0 को वेटेज दिये जाने के सम्बन्ध में निम्नवत मानक निर्धारित किया गया है :--

(क) सम्पूर्ण सेवा अवधि में दिए गए योगदान हेतु 70 प्रतिशत।

(ख) संदर्भगत वर्ष में किए गए योगदान हेतु 25 प्रतिशत।

(ग) उ0प्र0 उच्च शिक्षा डिजिटल लाइब्रेरी में शिक्षक द्वारा किए गए योगदान हेतु 05 प्रतिशत।

(घ) पुरस्कार सम्बन्धी ए0पी0आई0 की गणना करते समय यू0जी0सी0 के मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

(7) परीक्षण समिति (Screening Committee) द्वारा अपात्र शिक्षकों के आवेदन पत्रों को निरस्त करके केवल पात्र शिक्षकों के आवेदन पत्रों को ही शासन को प्रेषित किया जायेगा।

6-- **परीक्षण समिति**:--निदेशालय स्तर पर एक परीक्षण समिति (Screening Committee) गठित की जायेगी, जो निम्नलिखित सदस्यों के रूप में गठित होगी--

(अ) निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, इलाहाबाद -- अध्यक्ष

(ब) निदेशक, उच्च शिक्षा, द्वारा नामित राजकीय महाविद्यालय का वरिष्ठ प्राचार्य -- सदस्य

(स) शासन द्वारा नामित राज्य विश्वविद्यालय का एक प्रोफेसर/शिक्षाविद -- सदस्य

7-- **चयन समिति** :-- उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार के लिए पात्र शिक्षकों का चयन एक समिति द्वारा किया जायेगा, जो निम्नलिखित सदस्यों के रूप में गठित होगी:--

(अ) मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन -- अध्यक्ष

(ब) सचिव/प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0शासन -- सदस्य

(स) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग अथवा उनके

द्वारा नामित अधिकारी। --सदस्य

(द) शासन द्वारा नामित विश्वविद्यालयों के 02 कुलपति/राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के शिक्षाविद --सदस्य

(ध) सदस्य, उ0प्र0, राज्य उच्च शिक्षा परिषद --सदस्य

(र) निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, इलाहाबाद --सदस्य सचिव

चयन समिति के अध्यक्ष को किसी भी समय बैठक आहूत करने का अधिकार है, जब वह आवश्यक समझें, परन्तु बैठक के सम्बन्ध में 10 दिन पूर्व बैठक की सूचना देना अनिवार्य होगा।

8-- **चयन समिति की संस्तुति पर अनुमोदन:--** उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति पर मा0 मुख्य मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करते हुए आदेश निर्गत किये जायेंगे।

(1) उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों पर मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात चयनित अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन कराया जाना अपरिहार्य होगा।

(2) सम्पूर्ण सेवा अवधि के दौरान एक से अधिक पुरस्कार पाने की दशा में भी केवल 02 वर्ष का एक बार सेवा विस्तार ही अनुमन्य होगा तथा इसके अतिरिक्त सत्रान्त का लाभ भी इन्हें अनुमन्य होगा।

9-- **बजट** :-- पुरस्कार की धनराशि हेतु बजट व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष निर्धारित आय--व्ययक के अन्तर्गत की जायेगी।

10-- **वार्षिक रिपोर्ट** :-- सदस्यसचिव द्वारा वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जायेगी और चयन समिति के अनुमोदन तथा सत्यापन के लिये प्रस्तुत की जायेगी।

11-- **विविध** :-- नियमावली के किसी नियम में, जब जिस प्रकार की आवश्यकता हो, मा0 मुख्य मंत्री जी के अनुमोदन से परिवर्तित/परिवर्धित किया जा सकेगा।

आज्ञा से

29/10/21

(मोनिका एस. गर्ग)

अपर मुख्य सचिव।